

168

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(मानव अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल.

कमांक एफ 7-55/2014/1/माअप्र.
प्रति,

भोपाल, दि० 12/01.2015

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन,

विषय- प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संबंध में आयोग के निर्देशों का कृपया अवलोकन करे।(प्रति संलग्न है) आयोग ने लेख किया है कि ऐसे कई प्रकरण आयोग के सामने आये हैं, जिनमें पेंशन व अन्य स्वत्व मिलने में अत्यधिक विलंब किया गया है। यदि सेवापुस्तिका की डुप्लीकेट पुस्तिका निर्माण आवश्यक है तो कृपया निर्माण संबंधी कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूर्ण कर ली जाये, ताकि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ऐसे जितने भी प्रकरण आपके विभाग में लंबित है, उनमें एक निश्चित अवधि में निराकरण कराने की व्यवस्था करें।

उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समय-सीमा में विषयान्तर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

Am 5

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)
भोपाल, दि० 12/01.2015

कमांक एफ 7-55/2014/1/माअप्र.
प्रतिलिपि-

सचिव, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की ओर उनके पत्र क्र० 26132/माअआ/वि.शा./276/नीमच/12, दि० 09.12.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

Am 2
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)

obc